10/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी द्वारा बार-बार आवेदन किया गया लेकिन न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 RTA Act प्रार्थी अब्दुल फैरवी एवं अन्य हस्ती में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही अमल में लाई जावे।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 10/12/2019 को सुने जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर